

तारीख
हुकम

6-6-18 पचावली आज्ञा राज्य एक लोक अदालत
 केम्प साकीघर पेश हुई। पंडाकार
 हाजिर हुकूम का अस्वीकार किया।
 प्राणी ने एक प्राणी पत्र बाबत अस्वीकार
 निषेधाज्ञा का पेश किया अज्ञात प्राणी
 का जवाब बन्द किया जाता है। मामले
 में राज्य स्व रेकॉर्ड अनुसार प्रथम
 दुपट्टा मामला प्राणीगण के पक्ष में
 साबित नहीं एव बाद में अज्ञात
 बाबत सुविधा का सन्तुलन एवम
 अप्रुणीय इति प्रथम दुपट्टा प्राणी
 के पक्ष में नहीं बनता है। ऐसी
 स्थिति में प्राणी माल्यायी निषेधाज्ञा
 पाने का अधिकारी नहीं होता है।
 युक्ति मामले के सम्बन्ध में एक
 खातेदारी एक का बाद किया राखीन
 है जो लाइय, दस्तावेजी प्रमाण से
 न्यायालय हाजरा में विधि सम्मन
 निर्णय पारित हो लकेगा। अतः
 प्राणी का प्राणी पत्र बाबत अस्वीकार
 निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाता
 है। निर्णय आज दिनांक 6-6-18
 को लोक अदालत कोर्ट केम्प
 साकीघर सुनाया गया।

6/6/18

सहायक कलेक्टर जयपुर